Diversion Order

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र

अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज के न्यायालय में मामला क्रमांक............../................/2018-19

विषय:- पुनर्निर्धारण बाबद। प्रकरण की श्रेणी.....25......./अ-2/2018-19

ग्राम........................बन्दोबस्त क्रमांक................पटवारी हल्का नं..................क्षेत्र.........................

कलेक्टर का क्रमांक....................सन् 20...... अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक..............सन् 2018-19

| आदेश क्रमांक कार्यवाही की दिनांक और स्थान | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन-पत्र अथवा कार्यवाही पर्ची | जहाँ आवश्यक हो अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 12/03/2019 | -आवेदक अयोध्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तर्फे अध्यक्ष श्री मांगीलाल पिता श्री लक्ष्मीनारायण झंवर पता- 70, जानकी नगर एक्स., इन्दौर द्वारा ग्राम छोटा बांगड़दा स्थित भूमि सर्वे क्र. 118/1 कुल रकबा 0.592 हेक्टर भूमि के डायवर्शन का मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंतर्गत (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>आवेदन के संलग्न आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तावेजों/अनापत्ति/अभिमत प्रस्तुत किये गये हैं:-<br>1. चालू वर्ष खसरा, बी-1, आधार कार्ड आदि की प्रति।<br>2. चालान क्रमांक 00291656 दिनांक 05/02/2019 से जमा राशि 1,30,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) की प्रति।<br>3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर का पत्र पृ.क्र. 1229/INDLP-4723/18/नग्रानि/2019 दिनांक 12/02/19 द्वारा अनुमोदित नक्शे की प्रति।<br><br>-प्रकरण दर्ज हो।<br>-आवेदित भूमि के न्यायालयीन वाद के संबंध में आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।<br>-संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी हो।<br><br>पेशी दिनांक:-04/04/2019<br><br>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)<br>मल्हारगंज क्षेत्र, जिला इन्दौर | |

Scanned by CamScanner

राजस्व आदेश पत्र अनुवृति पत्र
अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र

प्रकरण क्रमांक: / /2018-19

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26/03/2019 | -प्रकरण प्रस्तुत।<br>-राजस्व निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल राशि रू. 1,30,000/- चालान द्वारा जमा की गई है जबकि राजस्व निरीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कुल व्यपर्वतित राशि रू. 1,30,240/- होना पाया गया है।<br>-अतः शेष राशि आवेदक से जमा करवाये जाने हेतु आवेदक व राजस्व निरीक्षक को सूचना पत्र जारी हो।<br>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)<br>मल्हारगंज क्षेत्र, जिला इन्दौर<br>11/5/19 | |

Scanned by CamScanner

राजस्व आदेश पत्र अनुवृति पत्र

अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र

प्रकरण क्रमांक: 0025/अ-2/2018-19

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 08/04/2019 | -प्रकरण प्रस्तुत।<br>-आवेदक अयोध्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तर्फे अध्यक्ष श्री मांगीलाल पिता श्री लक्ष्मीनारायण झंवर पता- 70, जानकी नगर एक्स., इन्दौर द्वारा ग्राम छोटा बांगड़दा स्थित भूमि सर्वे क्र. 118/1 कुल रकबा 0.592 हेक्टर भूमि के आवासीय (मल्टीफ्लेटेड डेवलपिंग यूनिट) प्रयोजनार्थ पुनर्निर्धारण (व्यपवर्तन) हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (भू-राजस्व निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के संलग्न आवेदक द्वारा वर्ष 2018-19 की खसरा-बी1 की प्रति, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी अनुज्ञा क्र. 1229/INDLP-4723/न.ग्रा.नि./2019 दिनांक 12/02/2019 एवं नक्शे की प्रति, आधार कार्ड की प्रित प्रस्तुत की है। ट्रेजरी चालान क्रमांक 00291656 दिनांक 05/02/2019 से जमा राशि 1,30,000/- एवं चालान क्रमांक 002914023 दिनांक 27/03/2019 से जमा राशि 250/- की प्रति प्रस्तुत की गई है।<br>-प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदित भूमि का मौके पर रिक्त होकर कुल व्यपवर्तित क्षेत्रफल 5,920 वर्गमीटर का है। आवेदित भूमि पर प्रीमियम के लिये लागू दर रू. 20/- प्रति वर्गमीटर तथा देय पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की दर रू. 2.00/- प्रति वर्गमीटर है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रीमियम व पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि वर्ष 2018-19 हेतु जमा की गई है। इस प्रकार आवेदित भूमि के आवासीय (मल्टीफ्लेटेड डेवलपिंग यूनिट) प्रयोजन हेतु भू-राजस्व पुनर्निर्धारण करने में कोई अवरोध नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 के नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवासीय (मल्टीफ्लेटेड डेवलपिंग यूनिट) प्रयोजन में व्यपवर्तन की सूचना स्वीकार की जाती है तथा आवेदित भूमि पर प्रीमियम की राशि रूपये 1,18,400/- व भू-राजस्व राशि रूपये 11,840/- प्रतिवर्ष नियत किया जाता है। (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 के नियम 16 अंतर्गत राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। तहसीलदार, मल्हारगंज तीन दिवस में राजस्व अभिलेख संशोधन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें पश्चात प्रकरण दाखिल रेकॉर्ड हो।<br><br>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)<br>मल्हारगंज क्षेत्र जिला इन्दौर<br>अनुविभागीय अधिकारी<br>(राजस्व) मल्हारगंज,<br>इन्दौर<br><br>प्रमाणित प्रतिलिपि<br>15/5/19 | |

Scanned by CamScanner